रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 1982/माघ 5, 1903
No. 20] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1982/MAGHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 1982

सा०का०नि० 24(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1962 के नियम 7 में, —

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) व्यवसाय शिक्षुओं को संदेय वृत्तिका की न्यूनतम दरें नीचे लिखे अनुसार होंगी :—

प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	230 रु० प्रतिमास
प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	260 रु० प्रतिमास
प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान	300 रु० प्रतिमास
प्रशिक्षण के चौथे वर्ष के दौरान	350 रु० प्रतिमास

परन्तु अधिनियम की धारा 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, संदेय वृत्तिका की दर के अवधारण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में उन शिक्षुओं द्वारा पहले ही लिए गए प्रशिक्षण की अवधि को गणना में लिया जाएगा।";

(ख) उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(1क) स्नातक या तकनीशियन शिक्षुओं को संदेय वृत्तिका की न्यूनतम दरें नीचे लिखे अनुसार होंगी :—

(i) इंजीनियरी स्नातक	450 रु० प्रतिमास (उत्तरवर्ती संस्थागत प्रशिक्षण के लिए)
(ii) त्रिवर्षी संस्थाओं के सांतराल पाठ्यक्रम के छात्र	320 रु० प्रतिमास
(iii) डिप्लोमाधारी	320 रु० प्रतिमास (उत्तरवर्ती संस्थागत प्रशिक्षण के लिए)
(iv) डिप्लोमा संस्थाओं के सांतराल पाठ्यक्रम के छात्र	250 रु० प्रतिमास" ।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखण्ड (i) के पृष्ठ 464—474 पर अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1134 तारीख 28-8-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए:—

(i) अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 751 तारीख 16-5-1964

(ii) अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 1580 तारीख 15-10-1966

(iii) अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 1426 तारीख 2-10-1971

(iv) अधिसूचना संख्यांक सा० का०नि० 364 तारीख 15-3-1975

(v) अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 297 (अ) तारीख 27-5-1975

(vi) अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 38 (अ) तारीख 23-1-1976

[सं० डीजीईटी-13/2/80-ए०पी०]

सोनो लवराज, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1982

G. S. R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1962 namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 7 of the Apprenticeship Rules, 1962,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The minimum rates of stipend payable to trade apprentices shall be as follows:—

During the first year of training	Rs. 230/- per month.
During the second year of training	Rs. 260/- per month.
During the third year of training	Rs. 300/- per month.
During the fourth year of training	Rs. 350/- per month.

Provided that in the case of trade apprentices referred to in clause (a) of section 6 of the Act, the period of training already undergone by them in a school or other institution recognised by the National Council shall be taken into account for the purpose of determining the rate of stipend payable.";

(b) for sub-rule (1A), the following sub-rle shall be substituted, namely:—

"(1A) The minimum rates of stipend payable to graduate or technician apprentices shall be as follows:—

(i) Engineering Graduates	Rs. 450/-per month (for post-Institutional Training).
(ii) Sandwich course students from Degree Institutions.	Rs. 320/- per month.
(iii) Diploma Holders	Rs. 320/- per month (for post-Institutional Training).
(iv) Sandwich course students from Diploma Institutions.	Rs. 250/- per month.".

Note : Principal rules published vide notification No. GSR-1134 dated 28-8-1962 in the Extraordinary Gazette of India Part-II Section 3, Sub-Section (i), pages 464-474.

Subsequently amended by:—

(i) Notification No. GSR-751, dated 16-5-1964.

(ii) Notification No. GSR-1580, dated 15-10-1966.

(iii) Notification No. GSR-1426, dated 2-10-1971.

(iv) Notification No. GSR-364, dated 15-3-1975.

(v) Notification No. GSR-297(E), dated 27-5-1975.

(vi) Notification No. GSR-38(E), dated 23-1-1976.

[No. DGET-13/2/80-AP]

S. LOVERAJ, Director General/Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982